

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 32/2024

जी.सी.एम.एस. : 2024/306

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
लाबुसिंह पुत्र भारत सिंह जाति राजपुरोहित निवासी तालका, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मारवाड़ जंक्शन

“अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956”

उपस्थित :-

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना।

—: निर्णय :-

दिनांक:- 30/01/2025

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 74/2023 सरकार बनाम लाबुसिंह में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2024 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का खारड़ी ने अपीलान्ट को ग्राम तालका के खसरा नम्बर 41 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म बजंड की भूमि पर अवैध रूप से पक्का मकान बना कर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण संख्या 74/2023 दर्ज कर, अपीलान्ट को सुनवाई हेतु दिनांक 04.03.2024 को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया, जो अपीलान्ट को तामील नहीं हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.03.2024 को अपीलान्ट को अनुपस्थित मानते हुए अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश के साथ ही 50/- रुपये जुर्माना अधिरोपित करने बाबत निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का पुरा अवसर दिये जाने के आज्ञापक प्रावधान है, जो



अति. जिन्ना कलक्टर  
पाली (राज.)

हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया है। अपीलान्ट का खसरा नम्बर 41 पर करीब 40 वर्षों से अधिक समय से पक्का मकान बना हुआ है जिसमें अपीलान्ट अपने परिवार सहित निवास करता है जिसके अलावा अपीलान्ट के पास अन्य कोई मकान नहीं है। अपीलान्ट के तीन शादीशुदा पुत्र सम्पतसिंह, अमरसिंह, जगदीश सिंह भी अपने परिवार सहित उक्त आराजी पर बने प्रार्थी के एकमात्र मकान में निवासरत है। जैर अपील का आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु आवेदन भी रेस्पोजेण्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, जिससे उक्त आराजी का विधिवत नियमन होना प्रमाणित होता है। जैर अपील आराजी खसरा नम्बर 41 जो की गांव तालका में है जिसमें कई वर्षों से आबादी बसी हुई है, जिसकी किस्म गैर मुमकिन बंजर है जो प्रतिबंधित भूमि की किस्म में नहीं आने से काबिल नियमन है एवं ग्राम पंचायत जाड़न द्वारा भी उक्त आराजी को आबादी भूमि हेतु आवंटन किये जाने बाबत प्रस्ताव जिला कलक्टर महोदय एवं उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है लेकिन आदिनांक तक उक्त आराजी का नियमन नहीं हुआ है। राज्य सरकार के परिपत्रों दिनांक 07.09.2017, 15.09.2017, 03.10.2017 एवं 31.11.2017 के अनुसार भी उपरोक्त भूमि का सर्वे करवाकर आबादी में आवंटन कर अपीलान्ट सहित काबिल व्यक्तियों को पट्टा दिया जाना उचित माना है। रेस्पोजेण्ट जैर अपील आदेश की आड़ में अपीलान्ट को बेदखल करने पर आमदा है जो विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होने से काबिल खारिज योग्य है।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया है जिसकी किस्म गैर मुमकिन बंजर है। अपीलान्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी खारडी ने इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। चूंकि अपीलान्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए की गई है। अतः उक्त आदेश विधि संगत होने से अपीलान्ट की अपील खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 74/2023 सरकार बनाम लाबुसिंह में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2024 के विरुद्ध पेश की है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का खारडी ने मौजा तालका खसरा नम्बर 41 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म बंजर भूमि पर अपीलान्ट का नाजायज कब्जा/काश्त कर अतिक्रमण किये जाने बाबत टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने राजस्थान भू-राजस्व



अति. जिला कलक्टर  
पाली (राज.)

अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये गये। 91 एल.आर.एक्ट. के अधीन नोटिस प्रारूप 'क' में अपीलाण्ट लाबुसिंह पुत्र भारतसिंह जाति पुरोहित निवासी तालका को दिनांक 14.02.2024 को जारी किया गया, जो मातहत अदालत की आदेशिका से स्पष्ट है साथ ही नोटिस में उल्लेखित किया कि 'आप दिनांक 04.03.2024 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या प्लिडर द्वारा दिनांक 04.03.2024 को तहसील कार्यालय मारवाड़ जंक्शन में 10.00 पूर्वान्ह हाजिर होवे तथा यह हैतुक दर्शित करे कि आपको यहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।' परन्तु उक्त नोटिस अपीलाण्ट के पौत्र द्वारा तामील सुदा है न कि अपीलाण्ट द्वारा इसलिये नोटिस विधिवत तामिल की श्रेणी में नहीं आने के उपरान्त भी मातहत अदालत ने उक्त नोटिस को तामिल मान लिया, जो विधिनुसार उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.02.2024 के द्वारा अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया और आगामी पेशी दिनांक 4.03.2024 को अपीलाण्ट अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को जवाब एवं साक्ष्य सबुत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये बिना ही विधिविरुद्ध तरीके से जैर अपील आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाण्ट ने जैर आराजी पर बने मकान एवं बाड़े के नियमन हेतु तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष आवेदन पेश किया एवं मौके पर अपीलाण्ट का वर्ष 1984 से सेट्लण्ड पजेशन है एवं मकान बना हुआ है जिसकी ताईद में ग्राम तालका की सम्वत् 2041, 2045 एवं 2055 से लगातार 2075 एवं सम्वत् 2078 से 2080 तक की खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर-मुस्तकिल काशत तथा फोटोग्रास पेश किये है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलाण्ट जैर आराजी पर वर्षों से काबिज है। साथ ही रेस्पोजेण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में वर्तमान में अपीलाण्ट को सेट्लण्ड पजेशन से बेदखल करना न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता अपीलाण्ट के उक्त कथन का स्पष्ट प्रतिउत्तर देने में सरकारी पैरोकार असमर्थ रहे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार अपीलाण्ट ने तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष जैर आराजी के नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा यह तथ्य भी निर्विवादित है कि जैर आराजी पर अपीलाण्ट का मकान बना हुआ है एवं उनका सेट्लण्ड पजेशन है, साथ ही पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज दृष्टिगोचर नहीं हुये जिससे यह जाहिर होता हो कि जैर आराजी विवादित भूमि है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा नियमित कब्जे के सम्बन्ध पेश रसीद भी उनके कथनो का समर्थन करती है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है। सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि रेस्पोजेण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलाण्ट को बेदखल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त दौराने बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह भी रहा कि जैर आराजी की किस्म गैर मुमकीन बंजड़ है, जो कि काबिल नियमन है तथा उक्त भूमि का उपयोग कई दशकों से आवासीय प्रयोजनार्थ हो रहा है, जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत जाड़न द्वारा प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 09.05.2017 के द्वारा जैर आराजी का



अति. जिला क्लर्क  
पाली (राज.)

आबादी हेतु आवंटन करने बाबत प्रस्ताव जिला कलक्टर महोदय एवं उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किय गये थे लेकिन अब तक आबादी में परिवर्तन/आवंटन नहीं हुआ है। सरकारी पैरोकार ने भी अधिवक्ता अपीलान्ट के उक्त तथ्यों का समर्थन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत जाड़न के बैठक कार्यवाही रजिस्ट्र दिनांक 09.05.2017 प्रस्ताव संख्या 5 की प्रति में स्पष्टतया अंकित है कि खसरा संख्या 41 की सरकारी भूमि को आवश्यकतानुसार आबादी हेतु आवंटन कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षण/आवंटन के सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.01.2013 एवं 07.09.2017 के अनुसार भी जैर आराजी प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने से नियमानुसार काबिल नियमन थी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) के परिपत्र दिनांक 15.09.2017, 03.01.2017 तथा 31.11.2017 भी अधिवक्ता अपीलान्ट के कथनों का समर्थन करते हैं। सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त रेस्पोंडेण्ट द्वारा पारित जैर अपीलान्धीन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 74/2023 सरकार बनाम लाबुसिंह में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2024 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दस्तावेजों/साक्ष्य की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक **30/01/2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*gpd*

(डॉ. बजरंग सिंह)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली  
**अति. जिला कलक्टर**  
**पाली (राज.)**